

प्रश्न - भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और भारी लीकेज को देखते हुए क्या इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) व्यवस्था लागू कर देना चाहिए? तर्क संगत उत्तर दें। (200 शब्द)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:

- भूमिका में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्याप्त भ्रष्टाचार और भारी लीकेज को देखते हुए क्या इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) व्यवस्था लागू कर देना चाहिए, बताएं।
- अगले पैरा में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) व्यवस्था को लागू करने से आने वाली चुनौतियों को बतायें।
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार पर बनी शांता कुमार समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत में PDS में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिसाव के उच्च स्तर को देखते हुए खाद्यान्नों के भौतिक वितरण की बजाय लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण किया जाना चाहिये।

इस परिवर्तन से संभावित लाभ-

- PDS में व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लीकेज कम होगा। शांता कुमार समिति के अनुसार इससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार करोड़ रूपए की बचत होगी।
- भौतिक वितरण के दौरान होने वाले खर्च में कमी आएगी तथा समय भी कम लगेगा।
- लोग अपनी पसंद के खाद्य खुले बाजार से खरीद सकेंगे जिससे उन्हें अपनी रुचियों से समझौता नहीं करना पड़ेगा।

किंतु PDS में नकद हस्तांतरण व्यवस्था लागू करने के समक्ष अनेक चुनौतियों हैं:-

- नकद हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त नकदी का प्रयोग खाद्यान्न खरीदने के आलावा अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है, जिससे सरकार का खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य अधूरा रह सकता है।
- मुद्रास्फीति के कारण नकदी की क्रय शक्ति कम हो जाती है तथा कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण भी लाभार्थियों को अपेक्षित मात्रा से कम खाद्यान्न मिलने की आशंका बनी रहती है।